

भारत सरकार
वित्तमंत्रालय
वित्तीयसेवाएं वभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या 1649

(जसिका उत्तर 27 जुलाई, 2018/05 श्रावण, 1940 (शक) को दिया जाना है)

नई पेंशन योजना

1649. श्रीतेज प्रताप सहियादवः

श्रीमतीअंजू बालाः

क्या वित्तमंत्रियह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केंद्रसरकार के मृत कर्मचारियोंके परिवारों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गतअब तक स्वीकृत परिवार पेंशन के मामलों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनपीएस के प्रवर्तनमें आने के बाद मृत कर्मचारियोंके इन सदस्यों को पुरानी परिवार पेंशन योजना की दर पर पेंशन बंद कर दी गई है;
- (ग) यदि नहीं, तो उन लोगों, जो एनपीएस के अंतर्गतपुरानी पेंशन योजना की दर पर परिवार पेंशन पाते रहे हैं, का भवष्य क्या होगा;
- (घ) क्या अनेक मृत कर्मचारियों ने अंशदायी पेंशन नधि (सीपीएफ) के रूप में नेशनल सकियुरटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास मात्रकुछ हजार रुपए पीछे छोड़े हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकारअपने सीपीएफ से परिवार पेंशन का उन्हें भुगतान करेगी?

उत्तर

वित्तमंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीशवि प्रताप शुक्ल)

(क) से (ङ.): एनएसडीएल ई-गवर्नेंसइन्फ्रास्ट्रक्चरि जो कि पेंशन नधिविनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा पंजीकृत केन्द्रीयरकिरडकीपगिएजेसी है, उसके द्वारा 20 जुलाई, 2018 तक केन्द्रसरकार के कर्मचारियोंजिन्हें राष्ट्रीयपेंशन प्रणाली(एनपीएस) के अंतर्गतकवर किया गया है, के 1095 फैमिली पेंशन मामलों पर कार्रवाईकी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण वभाग द्वारा जारी 05 मई, 2009 के का.ज्ञा.सं.38/41/06-पी एंड पीडब्ल्यू(ए) के अनुसार राष्ट्रीयपेंशन प्रणाली(एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारीकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु अथवा अपंगता/अशक्तताके कारण सेवामुक्ति होने पर उन्हें दनांक 01.01.2004 से पहले नयिकृत कर्मचारियोंके समकक्षपेंशन/फैमिली पेंशन लाभ उपलब्ध हैं। इस संबंध में पीएफआरडीए (राष्ट्रीयपेंशन प्रणालीके अंतर्गतबहुरिगमनऔर आहरण) वनियिमन, 2015 के वनियिम 6(ड.) में एक प्रावधानभी किया गया है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण वभाग के दनांक 26.08.2016 के का.ज्ञा.स.7/5/2012- पी एंड पीडब्ल्यू(एफ)/बी के अंतर्गतएनपीएस द्वारा कवर किए गए केन्द्रसरकार के सभी कर्मचारियोंको सेवानिवृत्तपिदान और मृत्यु उपदान का लाभ भी प्रदानकिया गया है।
